राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 3(1)कार्मिक / क–2 / 2013 जयपुर, दिनांक : 23 OCT 2020

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर) सहित।

विषय–अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के तहत नियुक्त मृतक आश्रित कर्मचारियों की ली जाने वाली टंकण परीक्षा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 06.12.2019 के द्वारा दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों की 30 जून 2020 तक दो विशेष टंकण परीक्षाएं आयोजित करने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे, किन्तु उक्त परीक्षाएं लॉक डाउन के फलस्वरूप आयोजित नहीं हो सकी । अतः टंकण परीक्षा आयोजन के संबंध में विभिन्न जिला कलक्टरों से राय हेतु प्रकरण इस विभाग में प्राप्त होने पर कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 26.06.2020 के द्वारा उक्त निर्धारित समयावधि (30 जून 2020) को बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2020 किया गया था।

कतिपय जिला कलेक्टरों द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत उत्पन्न विषम परिस्थितियों के मध्यनजर द्वितीय विशेष टंकण परीक्षा का आयोजन नहीं करवाये जा सकने के कारण अतिरिक्त समयावधि चाहे जाने के संबंध में पत्र इस विभाग में प्राप्त हुए जिसके क्रम में 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाकर सितम्बर, 2020 तक ली जाने वाली परीक्षा 15 नवम्बर 2020 तक आवश्यक रूप से करवाने हेतु लिखा गया।

इसके पश्चात पुनः कतिपय जिला कलक्टरों एवं अन्य माध्यमों द्वारा कोविड–19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण कार्मिकों को टंकण परीक्षा की तैयारियों में पर्याप्त समय नहीं मिलने एवं समय पर आवेदन नहीं करने के कारण उक्त दोनों विशेष परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे / लाभ प्राप्त नहीं कर सके कार्मिकों को एक और अवसर दिये जाने हेतु पत्र इस विभाग में प्राप्त हुए।

www.rajteachers.com

Gwl

प्रकरण का परीक्षण किया गया। कोविड–19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के मध्यनजर मृतक आश्रित कर्मचारियों की टंकण परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक आयोजित की जाने वाली मृतक आश्रित कर्मचारी की विशेष टंकण परीक्षाओं के आयोजन हेतु अन्तिम तिथि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जाता है तथा जो कार्मिक उक्त अवधि तक आयोजित टंकण परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे है, उन्हें भी एक और अवसर प्रदान करते हुए 31 मार्च, 2021 तक ली जाने वाली टंकण परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः कृपया उक्त दिशा–निर्देशानुसार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से शेष अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों की विशेष टंकण परीक्षाऐं अब हर हालत में 31 मार्च 2021 से पूर्व करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

www.rajteachers.com